सैद्धान्तिक स्वीकृति

2018

संख्या: 426/X-4–15/1(229)/2015

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांकः 01 जुलाई, 2015

विषयः जनपद– उत्तरकाशी में हुडोली से बिनगदेरा मल्ला मोटर मार्ग हेतु 1.034 हे0 आरक्षित एवं सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3415/FP/UK/ROAD/9620/2015 दिनांक 25 मई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद उत्तरकाशी में हुडोली से बिनगदेरा मल्ला मोटर मार्ग हेतु 1.034 हे0 आरक्षित एवं सिविल वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0न0–11–09/98–एफ0 सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं–

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.068–हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित )जमा की जायेगी। उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नमान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित ) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 /1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
5. भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0– 25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा की जाएगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं05–3/ 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनाराशि का बैंक ड्राफट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः 426 (1)/X-4–15/1(229)/2015, तददिनांकित।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला।
6. अधिशासी अभियंता, नि0ख0, लो0नि0वि, पुरोला।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
उप सचिव।

184/प्रधान
29/7/015

# कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक: 213 / FP/UK/ROAD/9620/2015 दिनॉक:देहरादून:14 जुलाई, 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
पुरोला, उत्तकराशी।

विषयः– जनपद–उत्तकाशी में हुडोली से बिनगदेरा मल्ला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.034 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– राज्य सरकार, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 का पत्रांक 426/X-4-15/1(229)/2015 दिनांक 01–07–2015 (प्रति संलग्न)

महोदय,

राज्य सरकार, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.068 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 2,95,724.00 (रू0 दो लाख पिचानब्बे हजार सात सौ चौबीस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 में यह उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित जिला–उत्तरकाशी की सिविल एवं सोयम वन भूमि, जिसका क्षेत्रफल 2.068 हे0 है, को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित किया जायेगा व इस भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इसे छः माह के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। उक्त कार्यवाही सम्पन्न करवाकर जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गई भूमि का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर इस कार्यालय को अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 2,29,600.00 (रू0 दो लाख उनतीस हजार छः सौ) मात्र की धनराशि सम्बन्धित कोष में जमा की ज़ानी है।

3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में रू0 8,73,730.00 (रू0 आठ लाख तेहतर हजार सात सौ तीस) मात्र एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जानी है।

4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धनराशि जमा करायी जायेगी।

5. शर्त संख्या–5 व 6 के अनुपालन में देय धनराशियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदो में देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का IFSC Code-CORP0000371, MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 है। कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड शाखा में जमा करायी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु कारपोरेशन बैंक द्वारा जारी पुष्टि का पत्र मय UTR नं0 भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इसकी सूचना तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की जा सके।

AE 4 / [illegible] 28/07/15

6. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों के अन्तर्गत सुरक्षा उपायों हेतु निर्धारित बजट की सूचना उपलब्ध करायी जानी है एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है कि जनपद–कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

7. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख / प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8. शर्त संख्या–9 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

9. शर्त संख्या–10 उपरोक्त शर्तो के अनुपालन होने के पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु शासन को लिखा जायेगा।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नः–यथोपरि।**

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
वन संरक्षक

संख्या **/ FP/UK/ROAD/9620/2015** दिनांकित।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला, उत्तरकाशी। **(संलग्नः–यथोपरि)**

(मनोज चन्द्रन)
वन संरक्षक

::: NEFT OUTGOING DETAILS :::

| NEFT OUTGOING MESSAGE DETAILS | |
|---|---|
| SBI REFERENCE NO. | SBIN815307471721 |
| CREATION TIME | 03/11/2015 12:28:01 |
| SENDER IFSC CODE | SBIN0003293 |
| SENDER ACCOUNT NO. | 00003199304000009 |
| SENDER DETAILS | DIRECTOR TREASURIES AND FINNACE SER<br>23 LAXMI ROAD DALANWALA<br>DEHRADUN UTTARAKHAND<br>248001 |
| RECEIVER IFSC CODE | CORP0000371 |
| RECEIVER ACCOUNT NO. | 037100101025229 |
| BENEFICIARY DETAILS | compensatory afforestation fund<br>123456789<br>null<br>N.A. |
| AMOUNT(Rs.) | 1399054 |
| REMITTANCE ORIGINATOR | |
| REMITTANCE INFO. | /ATTN//INB //03 NOV 15 CO4101186511150001 OP41 |
| SENDER A/C TYPE | - |
| REMARKS | DELIVERED TO BENEFICIARY BANK |
| RBI BATCH TIME AND DATE | 1400/03-NOV-15 |

भारतीय स्टेट बैंक
**State Bank of India**
*With you - all the way*

e-PayOrder Details

| | |
|---|---|
| **e-PayOrder Number** | CN43063576 |
| **Debit Status** | Success |
| **Scheduled Time** | 03-Nov-2015 [12:00 AM] IST |

**03-Nov-2015**

**Multiple Credits**

**Fifty Five Lakhs Fifteen Thousand Seven Hundred and Eighty Three only** **55,15,783.00**

**00000011808458655**

| | | |
|---|---|---|
| | 316208SFTPUSER | kishori bhatt |
| **PUROLA** | **Maker** | **Authorizer 1** |
| **"CN43063576"** | **410103111596792** | |

| | |
|---|---|
| **Counterfoil Description** | E41011103111535140 |
| **Transaction Type** | NEFT Funds transfer |

Debit Account Details

| Account No. | Branch | Amount |
|---|---|---|
| 00000011808458655 | PUROLA | 55,15,783.00 |

Credit Account Details

| Beneficiary Name/Account No. | Bank/Branch/IFSCCode | Amount | Credit Status | UTR No. |
|---|---|---|---|---|
| Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal/037100101025229 | NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORPORATION BANK/CORP0000371 | 41,16,729.00 | Pending | SBIN815307471700 |
| Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal/037100101025229 | NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORPORATION BANK/CORP0000371 | 13,99,054.00 | Pending | SBIN815307471721 |

Ex Engr

७१२/वनभूमि
10/05/016

# :: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पुरोला के पत्र संख्या 450/वनभूमि दिनाक 08.03.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड पुरोला में हुडोली विनगदेरा-मल्ला मोटर मार्ग हेतु 2.068 है0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि वर्ग-9 (3)ड. खाता सं0 46 खसरा नं0 2262म0 रक्वा 2.068 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष हस्तान्तरण/नामान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, पुरोला द्वारा अपने पत्र संख्या मेमो/र0का0/वन भूमि हस्ता0/2016 दिनांक 05 अप्रैल, 2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि विकास खण्ड पुरोला में हुडोली विणगदेरा-मल्ला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम हुडोली म0 सिरेटी नामे तोक में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि वर्ग-9 (3)ड. खाता संख्या 45 खसरा संख्या 2262 म0 2.068 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है । प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शामशान घाट, पनघट आदि मुख्य स्थल नहीं है और उक्त भूमि को किसी अन्य प्रयोजन हेतु कृषि आवंटन नहीं है । प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा, खतौनी, इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है ।

**शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 (पताका "स")** के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा बर्ष 2009 के बाद सैद्धान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमीदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

अत: तहसीलदार, पुरोला से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम हुडोली म0 सिरेटी नामे तोक में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि वर्ग-9 (3)ड. खाता संख्या 45 खसरा संख्या 2262 म0 2.068 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है । उक्त प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।

AE-I/ 307/15

( श्रीधर बाबू अद्दांकी )
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

10/05/16

## कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 3573/आठ-16 (2013-14)    दिनांक 7 मई, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार पुरोला ।
2- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,पुरोला।
3- प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

11

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
## निर्माण खण्ड़ लोक निर्माण विभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)

E-Mail – eepwdpurola@rediffmail.com

पत्रांक 1991 /वनभूमि दिनांक 5 / 11 /2015

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
टौन्स वन प्रभाग,
पुरोला।

**विषय :–** **जनपद उत्तरकाशी में हुडोली से विणगदेरा मल्ला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.034 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0, को प्रत्यावर्तन।**

**सन्दर्भ :–** **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी ववन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 213/एफ0पी0/यू0के0/रोड़ /9620/2015 दिनांक 14 जुलाई 2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में बिन्दुवार अनुपालन में आख्या निम्नवत है :–

**शर्त सं0 1** – शर्त सं0 1 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र सं0 1465/वनभूमि दिनांक 21/8/2015 द्वारा जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी को वन विभाग के पक्ष में 2.068 है0 सिविल सोयम भूमि का नामान्तरण आदेश प्रदान करने हेतु पत्र प्रेषित जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्र सं0 5438/8विविध/2015 दिनांक 2 सितम्बर 2015 द्वारा तहसीलदार पुरोला को स्थल चयन के आदेश प्रदान कर दिये गये हैं, तथा पुनः इस कार्यालय के पत्र सं0 1972/वनभूमि दिनांक 5/11/2015 के द्वारा जिलाधिकारी उत्तरकाशी को नामान्तरण के आदेश प्रदान करने हेतु पत्र लिखा जा चुका है। नामान्तरण आदेश प्राप्त होने पर प्रति प्रेषित कर दी जायेगी। सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 295724.00 Pay Order Number CN 43063576 Dt. 3 Nov 2015 के द्वारा Compensatory Attoresfafion Fund (CAF) Uttaranchal/037100101025229 New Delhi Lodhi Complex/Corporation Bank/Corp 0000371 खाते में जमा की जा चुकी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु e Payment Recipt की छाया प्रति संलग्न है।

वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गयी भूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपने स्तर से निर्गत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

**शर्त सं0 2** – शर्त सं0 2 के अनुपालन में रू0 229600.00 मात्र सम्बन्धित कोष में e Pay Order Number CN 43063576 dt. 3 Nov 2015 के द्वारा जमा की जा चुकी है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु प्राप्ति रसीद की छाया प्रति संलग्न है)

**शर्त सं0 3** – शर्त सं0 3 के अनुपालन में रू0 873730.00 मात्र एन0पी0वी0 की धनराशि सम्बन्धित कोष में e Pay Order Number CN 43063576 dt. 3 Nov 2015 के द्वारा जमा की जा चुकी है (सुलभ सन्दर्भ हेतु प्राप्ति रसीद संलग्न है)

(Page-2)

**शर्त सं0 4** – शर्त सं0 4 के अनुपालन हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है।

**शर्त सं0 5** – शर्त सं0 5 के अनुपालन में e Pay Order Number CN 43063576 dt. 3 Nov 2015 UTR No SBIN 815307471721 का पुष्टि पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

**शर्त सं0 6** – शर्त सं0 6 के अनुपालन हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है।

**शर्त सं0 7** – शर्त सं0 7 से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।

अतः अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाई गयी शर्तो का लो0नि0वि0, पुरोला (प्रयोक्ता ऐजेन्सी) द्वारा अनुपालन किया जा चुका है प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :–
1. e Pay Order Number CN 43063576 dt. 3 Nov 2015(UTR No SBIN 815307471721) पुष्टि पत्र की छाया प्रति 1 न0
2. प्रमाण पत्र 2 न0

05/11/15
(ए0एस0 पंवार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला

पत्रांक 1991 / वनभूमि तद्दिनांक / /2015

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वन संरक्षक यमुनावृत देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता छठा वृत्त लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।

05/11/15
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला

**कार्य का नाम :–** **जनपद उत्तरकाशी में हुडोली से विणगदेरा मल्ला मोटर मार्ग किमी0 3 के निर्माण हेतु 1.034 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0, को प्रत्यावर्तन।**

**प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी0 की दरों में यदि भविष्य में बढोत्तरी होती है तो बढी हुयी दरों से प्रयोक्ता ऐजेन्सी लो0नि0वि0, पुरोला द्वारा धनराशि जमा कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला

**कार्य का नाम :—** **जनपद उत्तरकाशी में हुडोली से विणगदेरा मल्ला मोटर मार्ग किमी0 3 के निर्माण हेतु 1.034 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0, को प्रत्यावर्तन।**

**प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू: वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों का मार्ग निर्माण के समय कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला

::: NEFT OUTGOING DETAILS :::

| NEFT OUTGOING MESSAGE DETAILS | |
|---|---|
| SBI REFERENCE NO. | SBIN815307471721 |
| CREATION TIME | 03/11/2015 12:28:01 |
| SENDER IFSC CODE | SBIN0003293 |
| SENDER ACCOUNT NO. | 00003199304000009 |
| SENDER DETAILS | DIRECTOR TREASURIES AND FINNACE SER<br>23 LAXMI ROAD DALANWALA<br>DEHRADUN UTTARAKHAND<br>248001 |
| RECEIVER IFSC CODE | CORP0000371 |
| RECEIVER ACCOUNT NO. | 037100101025229 |
| BENEFICIARY DETAILS | compensatory afforestation fund<br>123456789<br>null<br>N.A. |
| AMOUNT(Rs.) | 1399054 |
| REMITTANCE ORIGINATOR | |
| REMITTANCE INFO. | /ATTN//INB //03 NOV 15 CO4101186511150001 OP41 |
| SENDER A/C TYPE | - |
| REMARKS | DELIVERED TO BENEFICIARY BANK |
| RBI BATCH TIME AND DATE | 1400/03-NOV-15 |